IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

WRIT PETITION NO. 359 (MS) OF 2002
(Old No. 2823 of 1993)

1. State of U.P. through the Chief Engineer, Irrigation Department (Tubewell), U.P. Lucknow.
2. Executive Engineer, Tubewell Construction Division, Haldwani, District Nainital.
3. Superintending Engineer, Tubewell Circle, Bareilly.
4. Assistant Engineer, Tubewell Division, Haldwani, District Nainital. .....Petitioners.

Versus

1. Bhanu Pratap Singh, S/o C/o Sri A.C. Kulsrestha, R/o H/122 Haldi Colony, P.O. Haldi, District Nainital.
2. Chandra Pal Singh, S/o Gunsi Singhm, C/o Sri A.C. Kulsrestha, R/oH/122 Haldi Colony, P.O. Haldi, District Nainital.
3. Labour Court, U.P.Haldwani, District Nainital, through its Presiding Officer. .....Respondents.

Dated: 26.04.2006

Hon'ble Rajesh Tandon, J.

Heard Learned Standing Counsel for the State.

By the present writ petition, the petitioner has prayed for a writ of certiorari quashing the order dated 10th October, 1992 (Annexure No. 13 to the writ petition).

Following question was referred for adjudication before the Labour Court:-

''क्या सेवायोजकों द्वारा परिप्रिष्ट में उल्लिखित अपने 6 श्रीमिकों को नलकूप चालकों के पद से आदेप्र दिनांक 30.8.86 द्वारा सेवायें समाप्त किया जाना उचित तथा/अथवा वैधानिक है?

यदि नहीं तो सम्बन्धित श्रमिका क्या लाभ/अनुतोष रिलीफक्र पाने के अधिकारी है, तथा अन्य किस विवरण सहित।

2— यदि उपरोक्त वाद समस्या श्रमिकों के पक्ष में निर्णीत होती है, तो क्यों सेवायोजकों द्वारा उपरोक्त श्रमिकों को स्थाई घोषित किया जाना चाहिये, यदि हास्त्रतो कब से तथा अन्य किस विवरण सहित?''

Briefly stated, according to the case of the respondents by order dated 27.03.1982 they were appointed as Tube Well Operators and they were sent for training also.

The Labour Court has recorded a finding to the following effect:-

''मैंने पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखां तथा गवाहों के बयानात का अध्ययन किया। नियुक्ति आदेप्र दिनांक 11—1—84 में इन्हें दो सौ रूपये वेतन की बात अंकित है तथा इनकी सेवायें पूर्ण रूपेण अस्थायी तथा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जाने की बात लिखी गयी है। दूसरा महत्वपूर्ण उल्लेख उनकी सेवा समाप्ति का आदेप्र का है जो प्रदर्प्र ई—2 है। इस अभिलेख से पता चलता है कि संबधित श्रमिकों की सेवायों 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण कर लेने के बाद समाप्त की गयी है। इन आदेप्रों की प्रति अन्य के अतिरिक्त सहायक अभियन्ता प्रथम व तृतीय नलकूप निर्माण खंड हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवप्र्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए यह भी निर्देप्रित किया गया है यदि इन अंप्रकालिक नलकूप चालकों में से जिस चालक का कार्य आप्रेक्षित स्तर का रहा हो तो उनसे पुनः नियुक्ति हेतु अपनी संस्तुती भेजे। अभिलेखों के अध्ययन से यह पता चलता है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति अंप्रकालिक कर्मचारी के रूप में अस्थायी तौर पर की गयी थी। किन्तु 3 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रदर्प्र इ—2 से स्पस्ट है कि इन कर्मचारियों को पुनः नियोजन में लिये जाने की बात विचाराधीन थी तथा सेवायोजकों ने संबंधित कर्मचारियों को नियोजन में ले लिया है। सेवायोजकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 1988 की रिट याचिका सं0 3039 में दिये गये निर्णय की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की है। जिसमें यह कहा गया है कि वादी श्रमिक अस्थायी तौर पर एक नियमित अवधि के लिये नियोजित किया गया था तथा यह अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः इसमें संविधान की अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है वर्तमान वाद

उपरोक्त लिखित वाद से भिन्न है क्योंकि नियुक्ति पत्र में कोई अवधि अंकित नहीं थी सेवायोजकों ने अंप्रकालिक तथा अस्थायी नियुक्ति पर विप्रेष बल दिया है किन्तु श्रम अधिनियमों में दी गी व्यवस्थायें सभी कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होती है। सेवा शर्तें अवप्र ही भिन्न हो सकती है।

पक्षेां द्वारा प्रस्तुत अभिलेखेां तथा गवाहों के बयानतों के अध्ययन तथा पक्षेां के विद्वान प्रतिनिधियों के तर्कों केा सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि सेवायोजको द्वारा अपने श्रमिक सर्वश्री भानू प्रताप सिंह की सेवाये आदेप्र दिनांक 30–8–86 के द्वारा समाप्त किया जाना उचित व वैधानिक नहीं है। तथा वे कार्य पर पुर्नस्थापित किये जाने के अधिकारी हैं। अतः मै निर्देप्रित करता हूॅ कि सेवायोजक इन कर्मचारियों को पूर्व की भॉति कार्य पर पुर्नस्थापित करें तथा सेवा समाप्ति की तिथित से कार्य पर पुर्नस्थापित किये जाने की तिथि तक व अन्य हितलाभ जो वे कार्य करते हुए प्राप्त करने के अधिकारी होते, प्रदान करें।''

I have perused the award. A perusal of the award shows that the order of termination of service of the workman-dated 30.08.1986 was wholly illegal and the respondents have been directed to be reinstated.

Since the Labour Court has not awarded the backwages, therefore, the petitioner can have no grievance. It has already stated that the workmen has already been reinstated and as such I do not find any illegality in the award. The findings recorded by the Labour Court being finding of fact requires no interference under Article 226/227 of the Constitution of India.

Writ petition therefore lacks merit and is dismissed. No order as to costs.

(Rajesh Tandon, J.)

26.04.2006
Rathour